निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **159**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि० रजिस्टर्ड कार्यालय एवं शाखा कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, तिलक नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ग्राफ फील्ड एस्टेट डवलपर्स प्रा॰ लि॰ जरिये डायरेक्टर के, 107, क्लब लेन, किशन नगर, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर।
2. सुनील बंसल पुत्र श्री दामोदर लाल बंसल
3. श्रीमती नीलू बंसल पत्नी श्री सुनील बंसल
   पता 31 एवं 36, केशव पथ, सूरज नगर (वेस्ट), सिविल लाईन, जयपुर ।
   के, 107, क्लब लेन, किशन नगर, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर।

अप्रार्थी

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री कपिल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

(कलक्टर) • जिला जयपुर (राज.) • जिला मजिस्ट्रेट

आदेश दिनांक 27-8-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को 28.02.2018 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स ग्राफ फील्ड एस्टेट डवलपर्स प्रा॰ लि॰ जरिये डायरेक्टर सुनील बंसल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी–008, बी–009, बी–021, बी–022, बी–023, बी–024, बी–051 ग्राम नासनोद तहसील मौज्माबाद जिला जयपुर क्षेत्रफल 1369.76 वर्गगज को बन्धक रख कर 30,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जा कर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.04.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा धारा 13 (2) के नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो पति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी मैसर्स ग्राफ फील्ड एस्टेट डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर सुनील बंसल के स्वामित्व की प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी--008, बी-009, बी–021, बी–022, बी–023, बी–024, बी–051 ग्राम नासनोद तहसील मौज्माबाद जिला जयपुर क्षेत्रफल 1369.76 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
7. आदेश आज दिनांक 20-8-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर